01

संख्याः– 1513 /VIII-1/19–58(श्रम)/2013

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

श्रम अनुभाग देहरादून, दिनांकः 06 दिसम्बर, 2019

विषयः– श्रम विभाग के अंतर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 एवं ब्यॉयलर अधिनियम 1923 एवं सहपठित नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी नियमावली, 2002 की संरचना का पुनर्गठन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या 979/एफ/विभा0संर0/2019–20, दिनांक 19.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 एवं ब्यॉयलर अधिनियम 1923 एवं सपठित नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी नियमावली, 2002 की संरचना का पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. उपर्व्यक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 2605/औ0वि0/147–श्रम/2001, दिनांक 03.12.2001 द्वारा कारखाना/ब्यॉयलर प्रभाग हेतु स्वीकृत विभागीय ढांचे में निम्न तालिकांनुसार स्तम्भ 5 में अंकित 05 अस्थायी अतिरिक्त पदों को दिनांक 29.02.2020 तक बशर्ते कि उक्त पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जांय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

श्रम विभाग के कारखाना/ब्यॉयलर प्रभाग का ढ़ांचा

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पूर्व से स्वीकृत पद	नये स्वीकृत पद	योग	भर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संयुक्त निदेशक कारखाना/ब्यॉयलर, उत्तराखण्ड	लेवल–12 (78800–209200)	–	01	01	पदोन्नति
2.	उप निदेशक कारखाना/ब्यॉयलर	लेवल–11 (67700–208700)	01	–	01	पदोन्नति
3.	सहायक निदेशक कारखाना/ब्यॉयलर, उत्तराखण्ड	लेवल–10 (56100–177500)	01	04	05	सीधी भर्ती
		योगः–	02	05	07	

3. इस शासनादेश के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 2605/औ0वि0/147-श्रम/2001, दिनांक 03.12 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. विभागीय संरचना के पुर्नगठन के पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या 16, लेखाशीर्षक 2230 के सुसंगत मानकमदों से किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 719/XXVII(7)/19, दिनांक 02.12.2019 के माध्यम से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः- (1)/VIII-1/19-58(श्रम)/2013, तददिनांकितः-
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-5/7, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।